वर्ष 2014 की वाणिज्यिक पोत परिवहन सूचना 13

फाईल सं.49-एनटी(2)/2004-भाग दि. 08.08.2014

विषय : पत्तन सीमाओं में संस्थापनाओं के आस-पास प्रोहीबिटीव जोन्स का प्रख्यापन – संबंधी ।

यह सूचना उस प्रक्रिया को बनाने के लिए है, जिसका पालन सभी समुद्रीय बोर्डो, बड़े और छोटे पत्तनों, निजी पत्तनों और कैप्टिव जेटीयों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में प्रत्येक अपतटीय संस्थापना के आस-पास की जगहों को प्रतिषेधित घोषित करने के लिए पालन किया जाएगा ।

2. पत्तन की सुरक्षा, कार्य कुशलता, सुरक्षाप्रद प्रचालन और प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पत्तन अपनी पत्तन सीमाओं और यथोचित समझे अनुसार प्रतिषेधित क्षेत्र, प्रवेश निषेध क्षेत्र या मात्स्यिकीय-निषेध जोन के अनुसार अपनी पत्तनसीमाओं और अधिकार क्षेत्र के स्थानों के भीतर एसपीएम, जेंट्टी, बोया जैसी अपतटीय संस्थापना के आस-पास यथावश्यक समझे अनुसार उचित जगह घोषित कर सकता है । ऐसी जगहों को घोषित किए जाते समय इस बात को आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाए कि यह घोषणा सोलास 1974, अंकलोस 1982, कोलरेज 1972 और यथासंशोधित वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार हों ।

3. संबंधित पत्तन इस क्षेत्र की सीमाओं का प्रस्ताव रखेगा जिसमें चार्ट पर इसकी चौहद्दी को दर्शाया जाएगा जो कि संबंधित समुद्री बोर्डो राजकीय प्रशासन को दिया जाएगा जो विधिवत् रूप से इस प्रस्ताव की विधीक्षा करेगा तथा प्रस्ताव, नौवहन महानिदेशालय को सूचित करते हूए प्रख्यापन के लिए नेशनल हाइडोग्राफिक ऑफिस (एनएचओ), देहरादून को प्रस्ताव अग्रेषित करेगा ।

4. 'नावेरिया VIII' समन्वयक के रूप में एनएचओ उपयुक्त प्रक्रिया के अनुसार नोटिसेस टू मरीनरस् (एनटीएम) और मेरीटाइम सेफ्टी इन्फॉमेशन (एमएसआई) के माध्यम यथोचित रूप से प्रतिषेध्य जोन का प्रख्यापन/ प्रचार-प्रसार करेगा और संबंधित नौचालन चार्टों में परिवर्तनों को शामिल करेगा ।

इसे नौवहन महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

11/8/14

(कप्तान एस के शुक्ला)
उप. नॉटिकल सलाहकार,
भारत सरकार